

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



No. 5-1(34)/2008-PD

Dated 3rd August, 2009

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Director/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub.- CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997.

Sir,

I am directed to invite your kind attention to Rule 3.1 of CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 and CSIR Circular No. CSIR (Resi. Allot) 97-Estate dated 18.1.98 and to say that in view of Ministry of Urban Development (Directorate of Estates) Notification No.12035/1/98-Policy-II dated 03.02.2009 notifying the eligibility for allotment of Government Residence after the implementation of 6th Central Pay Commission, DG, CSIR has been pleased to modify the eligibility criteria under Rule 3.1 of CSIR (Residence Allotment) Rules, 1997 for allotment of Government accommodation other than Scientists Apartments & Hostels as per the Grades Pay indicated below:-

Type of Residences	Grade Pay
I	Rs. 1300, Rs. 1400, Rs. 1600, Rs. 1650 and Rs. 1800
II	Rs. 1900, Rs. 2000, Rs. 2400 and Rs. 2800
III	Rs. 4200, Rs. 4600 and Rs. 4800
IV	Rs. 5400 to Rs. 6600
V	Rs. 7600 to Rs. 8900
VI	Rs. 10000
VII*	Rs. 12000 (under revision) and HAG+Scale

NOTE: *Living area 189.3 to 224.5 sq. meters. Wherever type VII accommodations is not available in the Lab./Instts., bigger type VI accommodation may be allotted to Scientists in grade pay of Rs. 12,000/- or HAG+ scale.

It is requested that the above decision may please be brought to the notice of all concerned in your Lab./Instt. for information, compliance and necessary action.

Yours faithfully,


3/8/09
(Sushil Kumar)

Sr. Deputy Secretary

Copy to:-

1. Sr. Deputy Financial Adviser/Deputy Financial Adviser/Sr. Finance & Accounts Officer/Finance & Accounts Officer of the National Labs./Instts.
2. Sr. Controller of Administration/Controller of Administration/Administrative Officers of the National Labs./Instts.
3. PS to DG, CSIR
4. PS to JS (Admin.)
5. PS to FA, CSIR
6. PS to CVO, CSIR
7. PS to Legal Adviser, CSIR
8. Head, URDIP/IPMD/HRDC/PPD/ISTADS
9. All Sr. Dy. Secretary/Under Secretary in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
10. All Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO/SO(F&A) in CSIR Hqrs. and Complex
11. Heads of RAB and HRDG at CSIR Complex, Pusa, New Delhi
12. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
13. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.



No. 5-1(34)/2008-पीडी

Dated 03.08.2009

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय : सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997

महोदय,

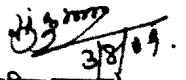
मुझे सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997 के नियम 3.1 तथा सीएसआईआर के दिनांक 18.01.1998 के परिपत्र सं. सीएसआईआर (रेजि. अलॉट) 97-इस्टेट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी आवास के आवंटन की हकदारी को सूचित करने वाली शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) की दिनांक 03.02.2009 की अधिसूचना सं. 12035/1/98-पॉलिसी-II के मद्देनजर महानिदेशक, सीएसआईआर ने सीएसआईआर (आवास आवंटन) नियमावली, 1997 के नियम 3.1 के तहत वैज्ञानिक अपार्टमेंटों एवं होस्टलों के अतिरिक्त सरकारी आवास के आवंटन के हकदारी मानदंड को निम्नवत ग्रेड पे के अनुसार संशोधित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है :

आवासों की टाइप	ग्रेड पे
I	रुपये 1300, रुपये 1400, रुपये 1600, रुपये 1650 तथा रुपये 1800
II	रुपये 1900, रुपये 2000, रुपये 2400 तथा रुपये 2800
III	रुपये 4200, रुपये 4600 तथा रुपये 4800
IV	रुपये 5400 से रुपये 6600 तक
V	रुपये 7600 से रुपये 8900 तक
VI	रुपये 10000
VII*	रुपये 12000 (संशोधनाधीन) और एचएजी+वेतनमान

नोट : - *आवासीय क्षेत्र 189.3 से 224.5 वर्ग मीटर। प्रयोगशालाओं/संस्थानों में जहां कहीं भी टाइप VII आवास उपलब्ध नहीं है रुपये 12000/- के ग्रेड पे अथवा एचएजी+वेतनमान पर कार्यरत वैज्ञानिकों को टाइप VI का बृहतर आवास आवंटित किया जा सकता है।

अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय को सूचना, अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

भवदीय,


(सुशील कुमार)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपि:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/ वित्त एवं लेखा अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
3. महानिदेशक, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
4. अवर सचिव तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रधान निजी सचिव
5. वित्त सलाहकार, सी.एस.आई.आर के निजी सहायक
6. मुख्या सतर्कता अधिकारी, सी.एस.आई.आर के निजी सचिव
7. अवर सचिव (के.का.)/वरिष्ठ उप सचिव(काम्पलैक्स)
8. प्रधान, यू.आर.डी.आई.पी/आई.पी.एम.डी/एच.आर.डी.सी/पी.पी.डी/इस्टेड
9. विधि सलाहकार, सी.एस.आई.आर मुख्यालय के निजी सचिव
10. सी.एस.आई.आर मुख्यालय के सभी वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
11. प्रधान, आर.ऐ.बी, सी.एस.आई.आर काम्पलैक्स
12. डॉ आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जे.सी.एम, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (now IITR), महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 80, लखनऊ
13. प्रधान, आई. टी. प्रभाग - इस अनुरोध से कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।